


>kj [k M vf/kfo | i fj"kn} jkph
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL,
RANCHI



LFk; h ÁLohÑr bAj egkfo | ky; }kj k vuqku
Ákr grqvksu@fofgr Ái =

foÙk; o"z% 2011&12

egkfo | ky; dk uke %-----

LFk; h ÁLohÑfr Ákr l dk; %-----



>kj [k M vf/kfo | i fj "kn} j kpl

LFkk; h ÁLohÑr b&j egkfo | ky; }kj k vuqku Ákfr grqvkouu@fofgr Ái =

संख्या :

दिनांक :

प्रेषक,

.....
.....

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची।

fo"k %& fo}k jfgr f'k}k ulfr ds rgr vuqku grqvkouuA

द्वारा,

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

महोदय,

31 मार्च, 20..... को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 एवं झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अनुदान नियमावली (2004) में दिए गए निहित शर्तों के आलोक में अनुदान स्वीकृति के लिए अपेक्षित सूचनाएँ निम्नवत समर्पित है :-

- (क) इंटर महाविद्यालय का नाम :-

(ख) पता :-

(ग) दूरभाष संख्या :- फैक्स संख्या :-

(घ) 1. प्रस्वीकृति प्राप्ति की तिथि :-

2. आदेश संख्या एवं तिथि :-

(ङ) स्थायी प्रस्वीकृत संकाय का नाम :-
- इंटर महाविद्यालय के नाम से निबंधित भूमि :-

(रकबा सहित, डीड/लीज डीड की छायाप्रति संलग्न करें)

fooj.kh

[kkk uá	Iykw	jdck
dy jdck		

3. भवन :-
(वर्गकक्ष की संख्या / प्राचार्य कक्ष / पुस्तकालय / प्रयोगशाला / खेल-कूद का मैदान)

fooj.kh

oxZ{k dh l q; k	Ákp; Zd{k	i qrdky;	Á; ks' kkyk	[ky&dw dk eshku

4. प्राचार्य का नाम एवं पता
(दूरभाष संख्या सहित) :-

.....
.....

5. कॉलेज की शासी निकाय के सचिव का नाम एवं पता
(दूरभाष संख्या सहित) :-

.....
.....

6. (i) कॉलेज की प्रकृति - (सह शिक्षा / बालक / बालिका)
(ii) इंटर कॉलेज कितनी आबादी वाले क्षेत्र में अवस्थित है :-

ग्रामीण / शहरी

7. (क) कॉलेज में छात्रों की संख्या वर्गवार :-

प्रथम वर्ष - कला विज्ञान वाणिज्य

द्वितीय वर्ष - कला विज्ञान वाणिज्य

(झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा प्रमाणित)

(ख) महाविद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या

(पिछले तीन वर्षों का) वर्ष वर्ग संख्या

.....
.....
.....

(ग) वर्ग +2 की परीक्षा में सम्मिलित एवं
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या एवं उत्तीर्णता
प्रतिशत (पिछले तीन वर्षों का)

संकायवार : वर्ष वर्ग संख्या प्रतिशत

.....
.....
.....

(घ) कॉलेज के सभी वर्गों का गत तीन वर्षों के नामांकित एवं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या तथा प्रतिशत :

वर्ष	वर्ग	नामांकित संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
.....
.....
.....

(ड) अधिकतम अनुमान्य आवर्ती अनुदान की राशि :

(च) गत वर्ष के शिक्षण दिवसों की संख्या :

8. (क) महाविद्यालय जिस पंजीकृत सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित है, उसका नाम एवं पंजीकरण संख्या (पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं नियमावली (बायलॉज) की प्रति संलग्न करें) :

.....

.....

(ख) महाविद्यालय शासी निकाय की प्रकृति (नियमित/तदर्थ) :-

(ग) महाविद्यालय शासी निकाय के सदस्यों की विवरणी :-

क्र.सं.	नाम	पद	व्यवसाय	संस्था	संस्था का पता
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

(ख)

बैंक का नाम	खाता संख्या	मासिक भुगतान की राशि

15. (क) गत वर्ष शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर व्यय :-

क्रमांक	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	विज्ञापन एवं अन्तर्वीक्षा की तिथि	चयन समिति की अनुशंसा की तिथि जिससे नियुक्ति हुई

(ख)

बैंक का नाम	खाता संख्या	मासिक भुगतान की राशि

16. अनुदान के संबंध में विवरण :-

(क) प्रथम अनुदान प्राप्ति का वर्ष (वित्तीय वर्ष) -

(ख) विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुदान : वर्ष अनुदान

.....

(ग) विगत वर्ष के अनुदान की अवशेष राशि :

(घ) क्या पूर्व में कभी अनुदान में कटौती अथवा अनुदान पर रोक लगी थी यदि हाँ तो कारण/कारणों का उल्लेख करें।

(ड) महाविद्यालय को किसी अन्य श्रोत से
अनुदान प्राप्त होता है -

(च) महाविद्यालय के आय का अन्य श्रोत -

17. महाविद्यालय का स्थायी कोष :-

(क) गत 31 मार्च को स्थायी कोष की राशि :-

(ख) कोषधन किस प्रकार नियोजित है :-

(पूर्ण विवरण)

18. आय विवरण (पूर्ण विवरणी अलग पन्ने पर दें)

क्रमांक	आय का श्रोत	आय मद	गत वर्ष की आय	चालू वर्ष का अनुमानित आय

19. व्यय की विवरणी

क्रमांक	व्यय का मद	गत वर्ष का व्यय	चालू वर्ष का अनुमानित व्यय

Ákp; Z
-----egkfo | ky; -----

l fpo
-----egkfo | ky; -----

?kkk k&i =

उपर्युक्त सूचनाएँ पूर्णतया सत्य हैं तथा किसी भी तथ्य को जान-बूझकर नहीं छिपाया गया है। संस्था राज्य सरकार द्वारा मान्यता और अनुदान सहायता देने हेतु बनाये गये नियमों का पालन करती रही है तथा भविष्य में भी करती रहेगी। संस्था के द्वारा झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्था (अनुदान) अधिनियम, 2003 के उपबंधों और राज्य सरकार तथा शिक्षा निदेशक के आदेशों/निदेशों का पालन न करने पर संस्था की मान्यता/अनुदान सहायता/स्थगित समाप्त की जा सकेगी। किसी भी अनियमितता की जिम्मेवारी शासी निकाय पर होगी।

rkj h[k %

gLrk[kj

Ákp; Z
-----egkfo | ky; -----

l fpo
egkfo | ky; 'kk h fuck

>kj [k M vf/kfo | i fj "kn~dk Áek k&i = , oa vuqk k

प्रमाणित किया जाता है कि इंटर कॉलेज
..... के सचिव एवं प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं
कागज की जाँच की गई गलत/सही पाया
गया। महाविद्यालय के अनुदान हेतु है।

l fpo]
>kj [k M vf/kfo | i fj "kn~
jkphA

vuyXud %&

1. सोसाईटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या का प्रमाण।
2. भूमि के निबंधित अभिलेख की छायाप्रति।
3. भवन के आकार-प्रकार एवं संख्या के संबंध में सत्यापित विवरणी की छायाप्रति।
4. संख्या के पंजीकरण का विधान/उप नियम।
5. स्थायी प्रस्वीकृति संबंधित आदेश की छायाप्रति।
6. प्रथम अनुदान प्राप्ति के लिए पिछले तीन वर्षों चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित प्रतिवेदन, यदि पूर्व से अनुदान प्राप्त हो रहा है तो पिछले अनुदान प्राप्ति वर्ष का अंकेक्षित प्रतिवेदन।
7. शैक्षणिक कैलेन्डर की प्रति।
8. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा छात्र संख्या के संबंध में प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
9. झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा निर्गत परीक्षाफल की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
10. विभिन्न क्षेत्रों में जमा निधि की विवरणी, बैंक का नाम, खाता संख्या तथा निधि सहित।
11. महाविद्यालय के परीक्षाफल का प्रतिशत।
12. वर्ग-12 में तीन वर्षों में नामांकित विद्यार्थी।
11. अनावर्त एवं आवर्त व्यय विवरणी।